उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-30-2018/सा-3-1126/दस-2018-301(9)/2011-2

लखनऊः दिनाँकः 18 दिसम्बर 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से ऐसे सभी कार्मिक आच्छादित हैं जो दिनांक01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश करते हैं अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना पूर्व से लागू थी की सेवा में प्रवेश करते हैं।

2- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने हेतु पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा तत्समय चयनित सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी-नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि0 एन0एस0डी0एल0 को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12-08-2011 को अनुबंधित किया गया।

3- पी0एफ0आर0डी0ए0 के परिपत्र संख्या PFRDA/2017/1/CRA/1 दिनांक 03 जनवरी 2017 सपठित परिपत्र संख्या- PFRDA/2017/5/CRA/2 दिनांक 09 फरवरी 2017 द्वारा मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0 लि0 को द्वितीय सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी के रूप में चयनित किया गया है।

4- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों तथा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है तथा उनके पंजीकरण के कार्य में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है।

5- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कार्मिकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत प्रान (PRAN) पंजीकरण एवं (PRAN) खातों के रखरखाव हेतु सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी के

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप में मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0 लि0 को अनुबन्धित किया जाये जिनका पंजीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि तक नहीं हुआ है। मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0लि0 द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की तिथि से सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी का कार्य किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनका प्रान पंजीकरण एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जा चुका है उनके खातों का रख रखाव एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जाता रहेगा ।

अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-30-2018/सा-3-1126(1)/दस-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री हेमन्त जी0 कन्ट्रैक्टर अध्यक्ष पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी नई दिल्ली।
2- श्री वी0 गणेश चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0 लि0 हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ सी0आर0ए0 अनुबंध का आलेख यथाशीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- श्री चन्द्र शेखर तिलक एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेण्ट एन0एस0डी0एल0 मुम्बई।
4- प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितिय इलाहाबाद।
5- निदेशक पेंशन इन्दिरा भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा0 लि0 के अधिकारियों से संपर्क कर अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करें।
6- निदेशक कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in